(b) if so, the facts thereof;

(c) whether Government are in possession of information that there are accounts kept by Indians in Swiss banks; if so, the particulars thereof;

(d) whether the Government have ever taken up the matter with the Swiss Government regarding disclosure of accounts kept by Indians in these banks, if so, with what results; and

(e) whether Government are contemplating to take up this matter at some international forum; and if so, the details thereof?

THE MINISTER OF FINANCE AND REVENUE AND BANKING (SHRI H. M. PATEL): (a) and (b). Yes, Sir. According to the information available, in case of such accounts only an account number is given but the identity of the owner is not recorded in the bank ledgers. For withdrawals normally a code is used and the person who orders withdrawal has to sign in code which is compared with a specimen kept in the bank. Under the Swiss laws, any official of the bank is prohibited from disclosing the particulars of any of its constituents to any authority except with the orders of a Swiss court. The unauthorised disclosure is a panel offence publishable with imprisonment.

(c) Yes, Sir. However, the information is of general nature and no specific information is available regarding the 'numbered accounts' being maintained by Indians in banks in Switzerland.

(d) and (e). With a view to get details of such accounts, if any, talks were held from 28th June to 2nd July 1976 with officials of the Swiss Government for purposes of concluding a comprehensive double taxation avoidance agreement having an article on 'Exchange of Information'. The Swiss Government was not agreeable to having a specific article on 'Exchange of Information'.

In the discussions in the UN Group of Experts on Tax Treaties between Developed and Developing Countries, India has been advocating that the article on 'Exchange of Information' in a double taxation avoidance agreement between any two countries should be fairly comprehensive so as to enable the contracting states to get as much information as is possible. India has also been advocating that pending conclusion of a comprehensive double taxation avoidance agreement, limited agreements providing for exchange of information may be concluded. Both India and Switzerland are members of this Group.

No tangible results have, however been achieved so far.

बिड़ला ग्रुप द्वारा कर अपवंचन

2911. **श्री हुकम देव नारायण यादव :** क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1976 तक बिड़ला ग्रुप पर प्रत्येक केन्द्रीय कर की कितनी राशि बकाया है ;

(ख) क्या कर-अपवंचन के बारे में कोई जांच कराई गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या उन्हें दोषी पाया गया था ; और

(घ) जांच किसने और कब की थी ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) 1 अप्रैल, 1977 की स्थिति के अनुसार बिड़ला ग्रुप की तरफ बकाया प्रत्येक प्रत्यक्ष कर की रकम नीचे दी गई है :—

आयकर	धनकर	दानकर	अतिकर
(लाख रुपयों में)			
339	6.82	0.27	24

बिड़ला ग्रुप की तरफ सीमा शुल्क / केन्द्रीय उत्पादन शुल्क से सम्बन्धित राजस्व की बकाया रकमों के ब्यौरे एकत्रित किए जा रहे है और उन्हें सदन-पटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) से (घ). बिड़ला ग्रप के विरुद्ध, आयकर विभाग के अधिकारियों के द्वारा किए जा रहे जांच कार्य का समन्वय, निरीक्षण निदेशालय (जांच) के दिल्ली स्थित विशेष कक्ष द्वारा किया जा रहा है। घोषित आय/धन/दान की रकमों में भारी वृद्धि हुई है। जहां जहां आवश्यक समझा गया, दाण्डिक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

प्रश्न के भाग (ख) से (ग) तक के बारे में सूचना, जिसका सम्बन्ध सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्राधिकारियों द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही से है, एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

निहित स्वार्थों का सहकारिताओं से उन्मूलन करना

2912. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का सहकारिताओं से निहित स्वार्थों का उन्मूलन करने के लिए कोई ठोस उपाय करने का विचार है ;

(ख) क्या निहत स्वार्थों ने सहकारिताओं पर कुप्रभाव डाला है और बिहार में बिहार सहकारी बैंक और बिहार राज्य क्रय-विक्रय संघ बैंक (मार्किटिंग यूनियन) जैसी सहकारिताओं को चलाना मुश्किल हो गया है ; और

(ग) क्या सरकार का इस मामले की जांच के लिए एक आयोग गठित करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री (श्री मोहन धारिया) : (क) से (ग) . सहकारिता राज्य विषय है और राज्य में सहकारी समितियों के पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन के लिए राज्य सरकारें उत्तरदायी है। तथापि, केन्द्रीय सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों को उनके सहकारी कानूनों में उपयुक्त संशोधन करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त भेजती रही है, ताकि सहकारी समितियों को जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने योग्य बनाया जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि सहकारी समिति के प्रबन्ध में किसी एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह का स्थायी प्रभुत्व न हो। मुख्य मंत्रियों तथा सहकारिता मत्रियों के जून, 1968 में हुए सम्मेलन और बाद में हुए मत्रियों के सम्मेलन में सहकारी समितियों में निहित स्वार्थों को बढ़ने से रोकने के लिए कतिपय उपायों का सुझाव दिया गया । ये सुझाव इनके बारे में थे—साहूकारों की सहकारी समितियों का सदस्य बनने से वंचित करना, सहकारी समितियों के प्रबन्ध मण्डल में कमजोर वर्गों के लिये सीटें आरक्षित करना, कई संस्थाओं में साथ-साथ पद धारण करने तथा पद धारण के कार्यकालों पर प्रतिबन्ध लगाना, पदाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले ऋणों का नियमन करना, किसी स्वतन्त्र प्राधिकारी द्वारा नियमित रूप से चुनाव कराना, स्वतन्त्र न्यायाधिकरणों का गठन करना आदि । अधिकांश राज्य इन सिफारिशों को कार्यान्वित कर चुके है।

सहकारी समितियों में निहित स्वार्थों के विषय की जांच कराने के लिए आयोग का गठन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राज्य